कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE
INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour &
Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL
OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-
208005
PANCHDEEP BHAWAN,
SARVODAYA NAGAR, KANPUR-
208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-ए-36/11/6/2024-स्था.-I दिनांक-10-01-2025

परिपत्र

विषयः क.रा.बी.निगम में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सहायक/ प्रधान लिपिक, प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, वैयक्तिक सहायक व स्टेनोग्राफर के पदों हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के संबंध में ।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दि. 27.11.24 के द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) कोटा के अंतर्गत रिक्ति वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 व 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सहायक/ प्रधान लिपिक, प्र.श्रे.लि., अ.श्रे.लि. व वैयक्तिक सहायक के पद हेतु तथा रिक्ति वर्ष 2019, 2020 व 2021 (दि. 26.02.2021 तक) के लिए स्टेनोग्राफर पद हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र कार्मिकों के आवेदन माँगे गए थे, जिसके अनुक्रम में कुछ कार्मिकों द्वारा पात्रता शर्तों/ पात्रता सेवा अवधि में छूट प्रदान करने तथा / अथवा अन्य क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण करने के उपरान्त पात्रता सेवा अवधि की गणना उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण की तिथि के स्थान पर क.रा.बी. निगम में कार्यग्रहण की तिथि से किए जाने हेतु अभ्यावेदन/ प्रार्थना-पत्र दिए गए थें, जिन्हें इस कार्यालय द्वारा अग्रिम दिशा-निर्देश हेतु मुख्यालय को अग्रेषित किया गया था ।

इस संबंध में सूचित करना है कि स्थापना- ।। शाखा, मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/28/01-2024 E-II, दि. 03.01.2025 (प्रति संलग्न) तथा पत्र सं. A-33/19/2/IRT-EXAM/2024 E-II, दि. 07.01.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश दिए गए है कि सिर्फ वर्तमान भर्ती विनियम तथा वर्तमान IRT पालिसी के अनुसार पात्रता शर्तों/ पात्रता सेवा अवधि को पूर्ण करने वाले कार्मिक ही LDCE में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे ।

यह परिपत्र क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

संलग्नकः यथोपरि ।

Signed by Anita Suresh
Date: 10-01-2025 11:46:30

(अनिता सुरेश)

उप निदेशक (स्थापना-I)

प्रतिलिपिः-

1. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ ।

2. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/ बरेली/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

4. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

5. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

6. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें ।

7. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड ।